संख्या:34/2020/590/35-4-2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संतकबीर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:04 मार्च, 2021

विषय : वर्ष 2020-21 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद संतकबीर नगर में सड़क निर्माण से संबंधित 02 कार्यो की शासनादेश संख्या-50/2020/523/35-4-2020 दिनांक 30 मार्च, 2020 द्वारा रू. 457.55 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 255.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, संतकबीर नगर के पत्र संख्या-479/ त्व0आ0वि0यो0/उपभोग प्रमाण पत्र/2019-20 दिनांक 30 जनवरी, 2021 द्वारा उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत एक कार्य यथा-**ग्राम पंचायत सिरसी से जिगना होते हुए मदरही बांध लेपन कार्य** हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष पूर्ण धनराशि व्यय होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा संदर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत उक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अनुमन्य धनराशि रू. 80.76 लाख (रूपये अस्सी लाख छियत्तर हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2020 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक /डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2021 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40- लेखाशीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:34/2020/590(1)/35-4-2020 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बस्ती।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीर नगर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी संतकबीर नगर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संतकबीर नगर।
13- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, संतकबीर नगर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।